उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-3/84/26-1-2014-रिट/2013

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2014

<u>शुद्धि-पत्र</u>

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-208(एसबी)/2013 डा0 घनश्याम लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-02-2013 एवं अवमाननावाद संख्या-1774(सी)/2013 डा0 घनश्याम लाल बनाम श्री संजीव दूबे, तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-10-2013 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3377/26-1-2013-सक-1, दिनांक 27-11-2013 द्वारा डा0 घनश्याम लाल, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर खीरी के सेवानैवृत्तिक देयकों का निम्नवत् ऑकलन करते हुए रू0 43,45,682/- की देयता पाये जाने पर उक्त धनराशि की देयता की स्वीकृति प्रदान करते हुए याची के प्रत्यावेदन दिनांक 24-12-2011 एवं 01-02-2013 को निस्तारित किया गया है-

क्र0	लम्बित भुगतान मद	याची का ऑकलन (रू0)	परीक्षणोपरान्त ऑकलित धनराशि (रू0)	भुगतान (रू0)	लम्बित (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	दक्षतापार की धनराशि	-	11,500	-	11,500	
2	पंचम वेतनमान की अवशेष धनराशि	10,41,872	11,50,600	-	11,50,600	
3	छठे वेतनमान की अवशेष धनराशि	15,01,026	9,40,800	-	9,40,800	
4	फरवरी, 2011 से जून, 2011, फरवरी 2012, एवं माह मई 2011 के 15 दिन का वेतन	2,73,755	1,90,461	1,90,461	-	दि0 23-08-2013 को धनराशि याची के खाते में अन्तरित
5	अवकाश नकदीकरण	7,78,000	5,81,460	5,81,460	-	-तदैव-
6	ग्रेच्युटी	10,00,000	4,65,168	-	4,65,168	पेंशन निदेशालय को प्रेषित
7	पेंशन का राशिकरण	12,48,000	5,74,602	-	5,74,602	-तदैव-
8	01 मार्च 2012 से 31-01-2013 तक 11 माह का लम्बित भुगतान	2,00,920	2,73,875	-	2,73,875	-तदैव-
9	जी0पी0एफ0 का भुगतान	1,35,664	1,35,664	1,20,000	15,664	10 प्रतिशत हेतु महालेखाकार को प्रेषित
10	ग्रुप इंश्योरेन्स का भुगतान	1,50,000	21,552	21,552	-	
	योग	**63,29,237**	**43,45,682**	**9,13,473**	**34,32,209**	

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 07-01-2014 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी की आख्या दिनांक 03-01-2014 शासन को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें डा0 घनश्याम लाल के उक्त देयकों का गहनतापूर्वक पुन: ऑकलन करने पर संशोधित देयता निम्नवत् बतायी गयी है:-

क्र0	लम्बित भुगतान मद	याची का ऑकलन (रू0)	पुन: परीक्षणोपरान्त ऑकलित धनराशि (रू0)	भुगतान (रू0)	लम्बित (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	दक्षतापार की धनराशि	-	25,740	25,740	-	
2	पंचम वेतनमान की अवशेष धनराशि	10,41,872	4,80,726	4,80,726	-	

http://shasanadesh.up.nic.in

3	छठे वेतनमान की अवशेष धनराशि	15,01,026	9,55,556	9,55,556	-	
4	फरवरी 2011 से जून 2011, फरवरी 2012, एवं माह मई 2011 के 15 दिन का वेतन	2,73,755	1,90,461	1,90,461	-	दि0 23-08-2013 को धनराशि याची के खाते में अन्तरित
5	अवकाश नकदीकरण	7,78,000	5,81,460	5,81,460	-	-तदैव-
6	ग्रेच्युटी	10,00,000	4,50,632	-	4,50,632	कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा किया जायेगा
7	पेंशन का राशिकरण	12,48,000	5,30,448	-	5,30,448	-तदैव-
8	01 मार्च 2012 से 31-01-2013 तक 11 माह का लम्बित भुगतान	2,00,920	4,17,883	-	4,17,883	-तदैव-
9	जी0पी0एफ0 का भुगतान	1,35,664	1,35,664	1,20,000	15,664	10 प्रतिशत की अवशेष धनराशि मय ब्याज सहित रू0 34,004 दि0 27-11-2013 को यची के खाते में अन्तरित
10	ग्रुप इंश्योरेन्स का भुगतान	1,50,000	21,552	21,552	-	
	योग	**63,29,237**	**37,90,122**	**23,75,495**	**14,14,627**	

3- अतएव निदेशक, जनजाति विकास विभाग के उक्त पत्र दिनांक 07-01-2014 के माध्यम से प्राप्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी की आख्या दिनांक 03-01-2014 के आधार पर डा0 घनश्याम लाल, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, लखीमपुर खीरी के सेवानैवृत्तिक देयकों को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-11-2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

के0राम मोहन राव
सचिव।

<u>पृ0सं0-3/84(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ को उक्त अवमानना याचिका संख्या-1774(सी)/2013 में पारित आदेश दिनांक 21-10-2013 एवं 28-11-2013 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- डा0 घनश्याम लाल, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, लखीमपुर खीरी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

5- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in